न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल कैप रीवा (म0प्र0)

5261-II/16

Rs-30/-

देवदत्त द्विवेदी आत्मज श्री रामसजीवन द्विवेदी निवासी ग्राम खैरी तहसील हुजूर वार्ड नंबर 5 जे.पी. रोड रीवा जिला रीवा म0प्र0।

..............................अपीलाण्ट

बनाम

1. चन्द्रमौल तिवारी तनय श्री शिवशरण तिवारी
2. निलेश तिवारी तनय श्री चन्द्रमौल तिवारी निवासी ग्राम पड़रा जे.पी. रोड वार्ड नंबर 5 रीवा जिला रीवा म0प्र0।
3. शासन म0प्र0

..............................रेस्पाडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा म0प्र0 आदेश दिनांक 05/5/2016।

अंतर्गत धारा 44 (1) म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई।

श्री देवदत्त द्विवेदी एड द्वारा आज दिनांक 14-6-16 को प्रस्तुत किया गया।
लीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है :--

[redacted]

है।

2 यह कि [illegible] के प्रथम अपील ही [illegible] मियाद थी जिसका जिक्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5261–दो / 16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-8-16	आवेदक देवदत्त द्विवेदी स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा कायमी पर तर्क सुने का निवेदन किया गया । प्रकरण में कायमी पर तर्क सुने गये । 2/ प्रकरण में आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार हुजूर, जिला–रीवा के प्रकरण क्र0 13/अ–13/06–07 में पारित आदेश दिनांक 06.11.07 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला–रीवा के यहाँ प्रथम अपील पेश की गई। जहाँ प्रकरण क्र0 51/अ–13/2009–10 पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 24.05.11 से अनावेदगण की अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 1118/अपील/2010–11 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 05.05.2016 को आदेश पारित कर, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण तहसीलदार हुजूर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि मौके पर नाप कर, स्थल निरीक्षण एवं स्थल पंचनामा तैयार कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर	

विधि अनुसार आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदकगण के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में जो अपील पेश की वह बेबुनियाद है, जिसका जिक अपर आयुक्त में आदेश पारित करते समय नहीं किया है, क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि और कानून की स्पष्ट मंशा भी है कि पहले पूर्व में भी म्याद का बिन्दु निराकृत होना चाहिये, जिस पर कतई गौर नहीं किया गया है। तहसील न्यायालय के निर्णय की जानकारी अनावेदक को समय पर हो गई थी क्योंकि उनके द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था । प्रकरण में अनावेदक स्वीकार करता है कि शासकीय रास्ता है व उसके रकबे पर अतिक्रमण है, फिर भी अपर आयुक्त ने प्रकरण में यह लिखकर कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करे, जबकि सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2007 की जानकारी अनावेदक को दी गई, फिर भी कार्य मका निर्माण बाउण्ड्री बाल बनाना नहीं रोका गया। सी. एम. तिवारी अनावेदक ने स्वयं नोटिस का जवाब दिया है, तब अनावेदक यह नहीं कह सकता कि सूचना एवं निर्णय की जानकारी नहीं है । आवेदक ने तर्क में यह भी बताया कि शासकीय रास्ते में अतिक्रमण बाउण्ड्रीबाल न हटे इस जुगाड़ में अनावेदक हमेंशा लगा रहता है, जबकि मानवीय दृष्टिकोण से भी बगल में इश्मशान स्थली है । लोगों को आने—जाने में तकलीफ होती है । यद्यपि यह मार्ग नगरनिगम के अंतर्गत आ गया है, जिस पर मार्ग से खैरी दुआरी, तुर्कहा, पड़रा, मैदानी आदि ग्रामों के व्यक्तियों का आने—जाने का मार्ग नदी के किनाने एक मात्र है, जिसे

अनावेदक द्वारा बाउण्ड्रीबाल बनवाकर अवरोध कर दिया गया है । अनावेदक अपने आपको प्रोफेसर बताते है । नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने पूर्व में अनावेदक की अत्याधिक मदद की है । सूचना के अधिकार के तहत दिये गये आवेदन–पत्र के आधार पर भी नकल प्रदान नहीं की जा सकी और यही कारण है कि वह प्रभावशील व्यक्ति है । अधिकारी/कर्मचारियों को मिलाकर ऐन–कैन–प्रकारेण बाउण्ड्रीबाल अतिक्रमण न हटे मुख्य ध्येय यही है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से समाप्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ मेरे द्वारा आवेदक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका का अध्ययन किया गया, जिसमें मैंने पाया कि तहसीलदार के द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर म.प्र. शासन की भूमि नं. 15 को रास्ता मानकर अनावेदक का कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है । अपील करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील अस्वीकार की तथा तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया है । अनावेदक व उनके साक्षियों का साक्ष्य नहीं लिया गया है । अनावेदक को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है अनावेदक के द्वारा भूमि ख़सरा नं. 16 रकबा 0.028 ए0 को पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा दिनांक 16.12.02 को क्रय किया गया। अनावेदक के द्वारा नामांतरण कराने के बाद भूमि का डायवर्सन कराकर, नगर पालिक निगम से मकान व

बाउण्ड्रीबाल बनाने की विधिवत अनुमति ली गई थी । तद्नुसार नक्शा पास होने के बाद नक्शे के अनुसार ही मकान व बाउण्ड्रीबाल का निर्माण कराया गया है । जिस पर नगर निगम द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । तत्पश्चात अनावेदक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से क्रय किये गये रकबे पर रजिस्ट्री में अंकित चौहद्दी के अनुसार डायवर्सन कराकर मकान बनाने की मंजूरी लेकर मकान व बाउण्ड्रीबाल का निर्माण किया गया ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का जो आदेश दिनांक 0505.2016 पारित किया है वह विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। गैरनिगरानीकर्ता निर्माण कार्य बाबत तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण तक यथास्थिति बनाकर रखेंगे । तहसीलदार आदेश प्राप्ति के 3 माह की समयावधि में उभयपक्षों की सुनवाई कर, उभयपक्षों के साक्ष्य को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये, प्रकरण का निराकरण अनिवार्यतः किया जावे । फलतः निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य